



# राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा.रा.मार्ग नं.-8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,  
अजमेर, 305025

Website: [www.ecajmer.ac.in](http://www.ecajmer.ac.in)

Telephone : 9214210952

E-mail : [principal@ecajmer.ac.in](mailto:principal@ecajmer.ac.in)

राअमअ/संस्थापन/2017/3402-3405

दिनांक

27 SEP 2017

निर्देशानुसार प्राचार्य कार्यालय में प्राचार्य की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2017 को आहूत हुई बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये हैं :-

- 1 डॉ. रेखा मेहरा, कुलसचिव
- 2 डॉ. रोहित मिश्रा, विभागाध्यक्ष, मेकेनिकल विभाग
- 3 डॉ. प्रदीप कुमार गोयल, विभागाध्यक्ष, सिविल विभाग
- 4 डॉ. कृष्ण गोपाल शर्मा, विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रीकल विभाग
- 5 डॉ. उमाशंकर मोदानी, विभागाध्यक्ष, ई.सी.ई विभाग
- 6 डॉ. विमल चन्द जैन, विभागाध्यक्ष, एच.एस.एस.विभाग
- 7 डॉ. जितेन्द्र कुमार डिगवाल, विभागाध्यक्ष, ई.आई.सी विभाग
- 8 डॉ. जिनेश कुमार जैन, सयोजक, स्कैप कमेटी, मेकेनिकल विभाग
- 9 डॉ. राधाकृष्ण मोटवानी, विभागाध्यक्ष, एम.बी.ए विभाग
- 10 डॉ. राकेश राठी, विभागाध्यक्ष, कम्प्युटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
11. श्री हरीशंकर मेवाडा, मुख्य अनुषाशक, ई.आई.सी. विभाग
- 12 श्री संजय सिंह, विभागाध्यक्ष, एम.सी.ए विभाग

**बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया:-**

- (1) महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधिया खेलकूद, साफ सफाई, स्वेच्छक रक्तदान, इत्यादि जो सुचारु रूप से आयोजित हो रही है और विद्यार्थी उसमें बढ चढ कर भाग ले रहे है, उसके लिये प्राचार्य ने सभी विभागाध्यक्षों एवं महाविद्यालय के संबंधित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का सधन्यवाद अभिन्नदन किया।
- (2) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार 02.10.2017 को महात्मा गाँधी जयन्ती का अवकाश निरस्त किया गया है। अन्य समस्त गतिविधियाँ महाविद्यालय को आगे आदेश प्राप्त होने पर सम्पादित की जायेगी।
- (3) इंजीनियरिंग कॉलेज सोसायटी, अजमेर की नवीं शाषी परिषद के मिनिटस जारी हो चुके है तथा मिनिटस महाविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अतः सभी कार्मिकों से अनुरोध है कि एक बार उक्त मिनिटस का अवलोकन जरूर कर लेवे, जिससे संबंधित नियमों एवं आदेशों का हवाला दिया जा सके।
- (4) महाविद्यालय की नोटशीट पर कई कार्मिकों के द्वारा अवकाश से संबंधित सूचना लिखकार अग्रेषित की जाती है जो नियमानुसार गलत है, नोटशीट का प्रयोग केवल पत्रावली के साथ ही करे एवं नोटशीट पर किसी प्रकार का निर्णय/सारांश भी नहीं लिखे, उसका निर्णय/सारांश अलग से संलग्न कर देवे।
- (5) महाविद्यालय की वर्ष 2012-2013 तक की समस्त प्रकार की रद्दी की सूची तैयार कर, समस्त विभागाध्यक्ष, सयोजक स्कैप कमेटी को आज ही प्रेषित करे, जिससे तदानुसार नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर, अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
- (6) महाविद्यालय के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया है, कि कार्मिक सयुक्त रूप से किसी प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं देवे, यह आचरण संहिता के नियम विरुद्ध है।



# राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा.रा.मार्ग नं.-8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,  
अजमेर, 305025

Website: [www.ecajmer.ac.in](http://www.ecajmer.ac.in)

Telephone : 9214210952

E-mail : [principal@ecajmer.ac.in](mailto:principal@ecajmer.ac.in)

- (7) महाविद्यालय के च.श्रे.कर्मचारी, प्रयोगशाला अनुचर एवं पुस्तकालय अनुचरों को महाविद्यालय का जो निर्धारित समय है से आधा घण्टा पहले एवं आधा घण्टा बाद महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। इस बाबत आदेश पूर्व में भी जारी किया जा चुका है।
- (8) महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को स्मरण दिलाया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों के कार्य की अनुशंसा एवं समय समयावधि के सभी निर्णय लेने के लिये वे अधिकृत हैं।
- (9) महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अवकाश के दौरान उनकी कक्षा एवं लैब इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं के स्तर पर ही करें।
- (10) महाविद्यालय के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कार्मिक अपना मोबाईल नम्बर अथवा दूसरा कोई नम्बर, जिस पर संबंधित कार्मिक की बात हो सके का एक नम्बर, अपने संबंधित विभागाध्यक्ष/सैक्शन इंचार्ज को आवश्यक रूप से देवे, जिससे महाविद्यालय एवं राजकीय कार्यों का सम्पादन सही समय पर किया जा सके। (सूचना देने की अंतिम तिथि 9-अक्टू-2017)

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 समस्त विभागाध्यक्षों एवं सैक्शन इंचार्ज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2 समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3 सयोजक, स्कैप कमेटी, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 रक्षक पत्रावली।